न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–71/2021

पप्पूराम पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार उम्र–56 वर्ष निवासी 1 एस जे एम बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

––– वादी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–18.08.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाके चक–4 एस जे एम ए तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं.–252/381 की कुल 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त रूप से वादी कृष्णराम पुत्र बीरबलराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वाद में दर्ज कृषि भूमि में वादी कृष्णराम पुत्र बीरबलराम के नाम 1/3 हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादी सह–खातेदार कृषक है। वादी का सही व वास्तविक नाम पप्पुराम पुत्र बीरबलराम है लेकिन उसका घरेलू नाम कृष्ण होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों कृष्ण व पप्पुराम के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का काश्तकार पेशा व्यक्ति है उक्त कृषि भूमि की वसीयत करवाते समय सहबन से वादी का घरेलू नाम कृष्णराम पुत्र बीरबलराम दर्ज किया था तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड कृष्णराम पुत्र बीरबलराम के नाम से दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक व मानवीय भूल है। वादी का सही व वास्तविक नाम पप्पुराम पुत्र बीरबलराम है तथा राजस्व रिकॉर्ड में सह–काश्तकार वादी के पुत्र है जिनके नाम आगे वादी का सही नाम पप्पुराम दर्ज है तथा वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व बैंक खाता जिनकी प्रतियाँ संलग्न वाद पत्र है, मे वादी का नाम पप्पुराम पुत्र बीरबलराम ही दर्ज है। लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम कृष्णराम के नाम से पुकारते है। इसलिए नामान्तरण करवाते समय वादी का नाम रिकॉर्ड में कृष्णराम दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम पप्पुराम ही है इस प्रकार कृष्णराम व पप्पुराम वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों [illegible] तथा जिस संबंध में ग्राम पंचायत 7 एस.जे.एम. द्वारा जारी प्रमाण पत्र सं[illegible] वाद [illegible]वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है वादी को उक्त त्रुटि [illegible] उक्त कृषि भूमि पर विद्युत कनेक्शन की पत्रावली तैयार [illegible] दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका या[illegible]पुराम का नाम दर्ज नही बल्कि आपका नाम रिकॉर्ड में कृष्णराम दर्ज है व माननीय न्यायालय में चाराजोई करने को कहा जिस पर वादी तहसीलदार राजस्व अनूपगढ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चारागोई करे बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Ta
Date: 2022.09.19 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप से कृष्णराम दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप से कृष्णराम दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक खाता व अन्य दस्तावेजात में वाद का नाम पप्पुराम दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में सहबन से गलत दर्ज हुये नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है और वादी अपने सही वा वास्तविक नाम पप्पुराम के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी राजपैरोकार उपस्थित आए।

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु दिनांक 12/03/2022 को तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है–

1. आया कि वादी राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) सम्वत 2075–2078 में दर्ज कृषि भूमि जो कृष्णराम पुत्र बीरबलराम के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि को वादी पप्पूराम पुत्र बीरबलराम के नाम दर्ज करवाने का घोषणा करवाकर रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है ?

---**वादीगण**

2. अनुतोष

वादीगण ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये गवाह पीडब्ल्यू–1 पप्पूराम का शपथ पत्र पेश किया। वादी वकील व राजपैरोकार के द्वारा जिरह की गई। वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज आधार कार्ड प्रदर्श –1ए, जमाबंदी की प्रति प्रदर्श–2ए, शपथ पत्र पप्पूराम प्रदर्श–3 ए, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत 7 एस जी एम प्रदर्श–4ए, प्रमाण पत्र वार्ड पंच–प्रदर्श–5 ए, राशनकार्ड की प्रति प्रदर्श–6 ए, फसली ऋण माफी, 2018 की प्रति प्रदर्श–7 ए, बैंक पास बुक की प्रति प्रदर्श–8 ए पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी चक 4 एसजेएम ए के [illegible] नं. –252/381 का 6.200 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा [illegible] रिकॉर्ड कृष्णराम पुत्र बीरबलराम 1/3 हिस्सा, चानणराम पुत्र बीरबलराम [illegible] गिरधारीलाल पि. पप्पूराम ब.हि.ब. 1/6 हिस्सा, हंसराज पुत्र [illegible] 1/6 हिस्सा जाति कुम्हार साकिन 1 एसजेएम ए खातेदार के नाम दर्ज है। कृष्णराम, चाननराम व हंसराज का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक सुखचैनपुरा [illegible] रहन दर्ज है। वादी पप्पूराम पुत्र बीरबलराम जरिये वाद मुताबिक जमाबंदी में अंकित नाम कृष्णराम पुत्र बीरबलराम को वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम कृष्णराम पुत्र बीरबलराम दर्ज करवाना चाहता है। चक 4 एसजेएम ए के

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.19 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

इंतकाल सं.–101 दिनांक–15.08.2010 एवं इंतकाल में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से उक्त भूमि पूर्व मे बीरबलराम पुत्र शेराराम के नाम थी। खातेदार बीरबलराम ने उक्त भूमि की वसीयत चन्दोदेवी पत्नी बीरबलराम प्रत्येक 1/3 हिस्सा में करने एवं बीरबलराम की फौतगी पर वसीयत निर्णय दिनांक 15.07.10 में 1/3 हिस्सा वादी कृष्णराम के नाम वसीयत की गई है एवं इंतकाल नं.–101 दिनांक 15.06.10 के द्वारा भी 1/3 हिस्सा कृष्णराम पुत्र बीरबलराम के नाम स्वीकृत हुआ है।

दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का सही वा वास्तविक नाम पप्पुराम पुत्र बीरबलराम है लेकिन उसका घरेलू नाम कृष्णराम होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी मे दोनों नामों कृष्णराम व पप्पुराम के नाम से जानते व पुकारते थे। घरेलू नाम कृष्णराम होने के कारण वसीयत में वादी का नाम कृष्णराम दर्ज करवा दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम पप्पुराम ही है। जो एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है जबकि वादी के राशन कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात वास्तविक नाम पप्पुराम के नाम से ही बने हुए है जिसका वादी को अब इल्म हुआ है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी का नाम दुरूस्त किया जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्यों का अवलोकन एवं तहसीलदार रिपोर्ट पर मनन किया गया। वादी द्वारा पेश वादाधीन कृषि भूमि की जमाबंदी में वादी का नाम कृष्णराम अंकित है जबकि उसके प्रदर्शित दस्तावेजात में उसका नाम पप्पुराम अंकित है। ग्राम पंचायत 7 एसजेएम के सरपंच में अपने प्रमाण–पत्र जाहिर किया है कि वादी पप्पुराम एवं कृष्णराम दोनों एक ही व्यकित के नाम है। उक्त दस्तावेजी सबूतों एवं सरपंच प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी के शपथ पत्र से प्रकट है कि वादी के नाम कृष्णराम उर्फ पप्पुराम हैं। वसीयत इंतकाल के निर्णय दिनांक–15.08.2010 में वादी का नाम कृष्णलाल उर्फ पप्पु पुत्र बीरबलराम अंकित किया गया है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके चक 4 एस जे एम ए तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–21 पत्थर नं.–252/381 की कुल 6.200 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कृष्णराम पुत्र बीरबलराम के स्थान पर कृष्णराम उर्फ पप्पुराम पुत्र बीरबलराम का अंकन किये जाने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरेआम सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.09.19 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़